भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1237
उत्तर देने की तारीख 13 दिसंबर, 2023
बुधवार, 22 अग्रहायण, 1945 (शक)

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना

1237. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना का ब्योरा क्या है, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा प्रदान की गई प्रशिक्षुता की संख्या क्या है;

(ख) हरियाणा राज्य में प्रदान की गई प्रशिक्षुता की संख्या और पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए कुल व्यय का ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रशिक्षुता प्रदान करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और योजना के तहत प्रशिक्षुता प्रदान करने वाली एजेंसियों का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य देश के युवाओं को भावी और उद्योग हेतु कौशल के लिए सक्षम बनाना है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और साथ ही शिक्षा मंत्रालय (एमओई)/उच्च शिक्षा विभाग वित्तीय सहायता के प्रावधान के साथ शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रहे हैं। ये स्कीमें कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस) हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत, शिक्षुओं को उनके पास उपलब्ध सुविधाओं/संसाधनों का उपयोग करके प्रतिष्ठानों द्वारा जॉब संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान शिक्षुओं को मासिक वृत्तिका दी जाती है। एनएपीएस और एनएटीएस का विवरण निम्न प्रकार है:

(i) राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) : भारत सरकार ने शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रतिष्ठानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त, 2016 में 'राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम' (एनएपीएस) शुरू की। इस स्कीम को राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम-2 के रूप में जारी रखने के लिए विस्तार किया गया है।

एनएपीएस-2 एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है और वित्त-वर्ष 2022-23 से वित्त-वर्ष 2025-26 तक चार (4) वर्षों के लिए 1,942 करोड़ रुपए के बजट के साथ "कुशल भारत कार्यक्रम" की अम्ब्रेला स्कीम के उप-घटकों में से एक है। यह स्कीम देश में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है, जिसमें शामिल शिक्षुओं को आंशिक वृत्तिका सहायता प्रदान की जाती है, शिक्षुता इकोसिस्टम की क्षमता-निर्माण का कार्य किया जाता है और हितधारकों को पक्ष-पोषण सहायता प्रदान की जाती है।

यह स्कीम शिक्षुता सम्बद्धता की प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और स्कीम के विगत संस्करण अर्थात एनएपीएस द्वारा बनाई गई गति को और तेज करके व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार लाने की दिशा में सरकार के प्रयासों पर आधारित है। एनएपीएस-2 के तहत भारत सरकार द्वारा आंशिक वृत्तिका सहयोग भुगतान किए गए वृत्तिका के 25 प्रतिशत तक सीमित होगा, जो प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रति शिक्षु प्रति माह अधिकतम 1,500 रुपए तक होगा। भारत सरकार द्वारा वृत्तिका सहायता का भुगतान शिक्षुओं के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित केंद्र और राज्य सरकार के विभागों तथा केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों को एनएपीएस-2 के तहत कोई वृत्तिका सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने प्रतिष्ठान और शिक्षुओं की संख्या में वृद्धि लाने हेतु पोर्टल और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के परामर्श से कई कदम उठाए हैं। वर्ष 2018 में सेवा क्षेत्र (वैकल्पिक ट्रेड) में ट्रेड की शुरूआत से शिक्षुता में महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इन सबके कारण शिक्षुओं की संख्या वर्ष 2018-2019 में 1.9 लाख से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 7.4 लाख हो गई है।

यह स्कीम क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय (आरडीएसडीई), कौशल और क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) से संबंधित राज्य निदेशालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। शिक्षुता प्रशिक्षण के सफल समापन पर, निर्दिष्ट ट्रेडों के तहत शिक्षु राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र (एनएसी) प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा (एआईटीटी) में बैठ सकते हैं। इन प्रमाण-पत्रों पर पीएसयू/सरकारी विभाग उन्हें रोजगार देने के लिए विचार करते हैं। यह मंत्रालय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (सीपीएसयू) के साथ विभिन्न माध्यमों से संपर्क कर रहा है और अधिक शिक्षुओं को शामिल करने के लिए उनके शीर्ष प्रबंधन के साथ बैठकें कर रहा है और उनके ठेकेदारों और डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं की पूरी श्रृंखला को शिक्षुओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

पूरे देश में, पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान एनएपीएस के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) /सीपीएसयू/संगठनों द्वारा 1,17,529 शिक्षुओं को सम्बद्ध किया गया है। हरियाणा राज्य में, पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान, सीपीएसई/सीपीएसयू सहित विभिन्न प्रतिष्ठान द्वारा 1,76,565 शिक्षुओं को सम्बद्ध किया गया है और इस पर 46.42 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। वर्तमान में, हरियाणा में 3,493 प्रतिष्ठान शिक्षुओं को सम्बद्ध कर रहे हैं और इनमें से 17 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/संगठन/इकाइयां हैं।

(ii) राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस): राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस) एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश में मुंबई, कानपुर, चेन्नई और कोलकाता में स्थित चार क्षेत्रीय शिक्षु/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डों (बीओएटी/बीओपीटी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

इस स्कीम का उद्देश्य नए उत्तीर्ण इंजीनियरिंग स्नातकों, डिप्लोमा धारकों, बी.ए., बी.एससी और बी.कॉम जैसी सामान्य विषयों में स्नातक और इंजीनियरिंग के सैंडविच कार्यक्रम में डिग्री और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को किसी भी उद्योग/प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम प्रदान करना है। यह स्कीम "शिक्षुता अधिनियम, 1961" और "शिक्षुता नियम, 1992" के अनुरूप संचालित की जाती है।

इस स्कीम के लिए, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 3,054 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। शिक्षुओं को मासिक वृत्तिका दी जाती है जिसे केंद्र सरकार और नियोक्ता के बीच 50:50 अनुपात के आधार पर साझा किया जाता है।

पूरे देश में, पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान एनएटीएस के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) /सीपीएसयू/संगठनों द्वारा 78,735 शिक्षुओं को सम्बद्ध किया गया है। हरियाणा राज्य में, पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान, सीपीएसई/सीपीएसयू सहित विभिन्न प्रतिष्ठान द्वारा 29,699 शिक्षुओं को सम्बद्ध किया गया है और 32.87 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। वर्तमान में, हरियाणा में 173 प्रतिष्ठान शिक्षुओं को सम्बद्ध कर रहे हैं और इनमें से सात (7) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/संगठन/इकाइयां हैं।

******